



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4211]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 30, 2019/पौष 9, 1941

No. 4211]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 30, 2019/PAUSHA 9, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2019

का.आ. 4713(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि राजस्थान राज्य के करौली जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 बी के कि.मी. 65.130 से कि.मी. 84.00 तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उप जिला कलेक्टर, करौली को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

राजस्थान राज्य के करौली जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 बी के कि.मी. 65.130 से कि.मी.84.00 तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

शुद्धिपत्र (3ए)

दिनांक 31.12.2018 को प्रकाशित अधिसूचना जिसका S.O 6454(अ) में खसरा संख्या 6910 में भूमि की प्रकृति बारानी-2 प्रकाशित हुआ है कस्बा करौली पटवार हल्का न. 09 की जमाबंदी सम्वत 2072-2075 के अनुसार भूमि की प्रकृति बारानी-2 के स्थान पर बंजड़ -2 होने के कारण इसे बंजड़ -2 पढ़ा जावे।

क्र.सं.	जिले का नाम	तालुक का नाम	ग्राम का नाम	3ए अधिसूचना का.आ. 6454 (अ) दिनांक 31.12.2018 को प्रकाशित		पूर्व में प्रकाशित 3ए अधिसूचना में सर्वेक्षण संख्या के समक्ष अंकित विवरण के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जावे					
				सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हे.में)	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हे.में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	करौली	करौली	करौली	6910	निजी	बारानी - २	0.02	6910	निजी	बंजड़-२	0-02

[फा. सं. RW/JAI/RJ/CE-RO/NH-12012/2018-19/41/3A Corr.]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th December, 2019

S.O. 4713(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening / two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of National Highway No.-11B in the stretch of land from Km 65.130 to Km 84.00 in the District of KARAU LI in the State of RAJASTHAN, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Sub District Collector, Karauli in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling National Highway No.-11B in the stretch of land from Km 65.130 to Km 84.00 in the District of KARauli in the State of RAJASTHAN

Corrigendum (3A)

The notification published with S.O. 6454 (A) dated 31.12.2018 in which Khasra No. 6910 whose nature of land was published Barani-2. According to Town Karauli Patwar Halka no. 09 Jamabandi Samvat 2072-2075 the nature of the land is Banjar-2. Therefore, for Survey/ Khasra No. 6910 the nature of land should be read as Banjar-2 in place of Barani-2.

S. No.	District Name	Tehsil Name	Village Name	3(a) Notification Published S.O.6454 (E) on date 31/12/2018				Previously Guzette Notification survey No change			
				Khasara No. and Survey No.	Type of land	Nature of land	Area of land	Khasara No. and Survey No.	Type of land	Nature of land	Area of land
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Karauli	Karauli	Karauli	6910	Private	Barani-2	0.02	6910	Private	Banjad-2	0.02

[F. No. RW/JAI/RJ/CE-RO/NH-12012/2018-19/41/3A Corr.]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.